दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 16/03/26

वादीगण की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता हैः–

(क) **वादी सं. 1 खुशदीपसिंह व प्रतिवादी स. 4 अमोलसिंह को प्राप्त भूमि**–चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता स. 89/8 के प.न. 40/289(37) का किला न. 1. 2, 9 ता 12, 13/1/0.127, 18 ता 23 की कुल 3.163 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी स. 1 कौरसिंह के नाम दर्ज 1581/3163 हिस्सा का बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

3

(ख). वादी सं. 2 गुरविन्द्रसिंह को प्राप्त हुई भूमि—चक 6 एल जी डब्ल्यू के खाता स. 16/12 के प. न. 40/288 (34) के किला न.6, 7, 11 ता 15 की 1.771 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

(ग). प्रतिवादी सं. 2 भूपेन्द्रसिंह को प्राप्त हुई भूमि—चक 7 एलजीडब्ल्यु—ए के खाता स. 105/99 के प.न.35/288 (40) का किला न. 1 ता 15 की 3.795 हैक. सयुक्त खाते की भूमि में से प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा अर्थात 1.8975 हैक नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/03/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा